न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला खैरथल–तिजारा

अध्याशितः– श्री मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
102/16	21.07.2016	25.11.24

उनवान

1. सुबेसिंह पुत्र श्री लालजीराम जाति अहीर निवासी रामपुरा की ढाणी,इस्माईलपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर हाल खैरथल–तिजारा राज0।

:–वादी

बनाम

1. रमेशचन्द पुत्र लालजीराम
2. सरोज पत्नि दीपक उपनाम नत्थू पुत्र अमरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम कान्हावास तहसील रेवाडी जिला रेवाडी हरियाणा।
3. रेशमी पत्नि नवलसिंह पुत्र इन्दरसिंह जाति अहीर निवासी केशोपुर तहसील बावल जिला रेवाडी हरियाणा।
   पुत्रीया लालजीराम जाति अहीर निवासी रामपुरा ढाणी, इस्माईलपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर हाल खैरथल–तिजारा राज0।
4. श्रीमान तहसीलदार साहब किशनगढबास/श्रीमान नायब तहसीलदार साहब, खैरथल लैण्ड होल्डर।

:–प्रतिवादीगण

दावा तकासमा, इश्तकरारहक एवं स्थाई निषेद्याज्ञा अन्तर्गत धारा 53,88,188

उपस्थितिः– 1. वादी की ओर से श्री आशीष मालाणी वकील।
2. प्रतिवादी की ओर से श्री गोपाल शर्मा वकील।

निर्णय 25.11.24

दावें के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः–

आराजी ख0नं0 1657 रकबा 0.5400हे0 मे से 1/2 भाग एवं ख0नं0 1653 रकबा 0.3900हे0, 1654 रकबा 0.1400हे0, 1655 रकबा 0.3700हे0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.9000हे0 मे से 1/2 हिस्सा वादी की एवं शेष भाग प्रति0 सं0 1 की तथा खसरा संख्या 1652 रकबा 1.3300हे0, 1656 रकबा 0.0100हे0, 1658 रकबा 0.5900हे0, 1661 रकबा 0.6700हे0 कुल किता 4 रकबा 2.6000हे0 मे से 2/5 हिस्सा वादी का व शेष हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 का मुताबिक जमाबंदी वाके ग्राम इस्माईलपुर तहसील किशनगढवास जिला अलवर, मुश्तर्का कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है इसी कदर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अंकन है। जो दावा हाजा मे मुतनाजा आराजी कहलावेगी। सबूत में वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2070–73 सलंग्न दावा पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

उक्त भूमि मौके पर अवट है। शामलात मे पक्षकारान काबिज रहकर अपने हिस्सेनुसार शामलात में काश्त कर उपभोग कर रहे हैं परन्तू प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 3 बैजा तरीके से शामलात खाते की मुश्तर्का भूमि का बिना बटवारा कराये स्टेन्जर परसन को भूमि खुर्द बुर्द व मुन्तकिल करने पर आमदा है जबकि वादी खेत के हर हिस्से व भाग पर इन्च इन्च भूमि पर शामलात में बहैसियत खातेदार काबिज एवं दाखिल चला आ रहा है। वादी ने अपनी सहुलियत के लिए ख0नं0 1652, 1661 में खेतो की सिंचाई के लिए अपना निजी बोरिंग कर रखा है। व अपने अपने मकान बना रखे है। लेकिन प्रति0 बैजा मदाखलत करने पर उतारू है यदि प्रतिवादीगण 1 लगा0 3 अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो वादी को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। प्रतिवादीगण वादी की शामलात कब्जा काश्त कारोवार में बैजा रूकावट पैदा कर वादी को उसके हिस्से की भूमि का उचित पैदावार फसल का लाभ लेने से वंचित करते है एवं हिस्सेनुसार काश्त कारोबार में रूकावट पैदा कर रहे है। वादी ख0नं0 1652, 161 मे मौजूद बोरिंग को वादी के हिस्से मे बाटकर आवागमन के लिए रास्ता छोडकर शेष भूमि शामलात खाता तकसीम कराकर मीट्स एण्ड बाउण्डस बाद कायम कुर्रे खाता व लगान तकसीम कराने तथा बटे हुए भाग पर दखल पाने का अधिकारी है। जिसके लिए दावा श्रीमान अदालत में पेश करना लाजिम आया है।

अतः प्रार्थना है कि दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः–

अ– डिक्री इज्राय तकसीम भूमि आराजी ख0नं0 1657 रकबा 0.5400हे0 मे से 1/2 भाग एवं ख0नं0 1653 रकबा 0.3900हे0, 1654 रकबा 0.1400हे0, 1655 रकबा 0.3700हे0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.9000हे0 मे से 1/2 हिस्सा वादी की एवं शेष भाग प्रति0 सं0 1 की तथा खसरा संख्या 1652 रकबा 1.3300हे0, 1656 रकबा 0.0100हे0, 1658 रकबा 0.5900हे0, 1661 रकबा 0.6700हे0 कुल किता 4 रकबा 2.6000हे0 मे से 2/5 हिस्सा वादी का व शेष हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 का मुताबिक जमाबंदी वाके ग्राम इस्माईलपुर तहसील किशनगढबास रिलीजडीड दिनांक 11.02.2016 क्रम सं0 2016000126 का इन्तकाल वादी के पक्ष मे दर्ज किया जाकर बाई मीटस् एण्ड बाउण्डस् वादी के बोरिंग की वरियता पश्चात बाद कायम कुर्रे तकसीम किया जाकर खाता व लगान का बंटवारा कर बटे हुए भाग पर वादी को दखल दिलाया जावे। इसी कदर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे।

ब– डिक्री इज्राय हुक्मइम्तनाई दवामी मशअरे इसके कि प्रतिवादीगण मुतनाजा आराजी मुन्दर्जे बाद पेरा सं0 1 मुताबिक जमाबंदी वाके ग्राम इस्माईलपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर के किसी भी भाग व हिस्से अथवा ख0नं0 1652, 1661 में वादी के बोरिंग को रहन बय हिबा आदि से खुर्द बुर्द व मुन्तकिल नही करे, ना प्रति0 सं0 1 लगा0 3 अन्य लोगो के पक्ष मे इकजाई अथवा टुकडों में रजिस्ट्री करावे, ना प्रति0सं0 4 किसी भी दस्तावेजात का पंजीयन स्वीकार करे। ना कब्जा सवलेट करे रिकार्ड व मौके की यथास्थिति

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

कायम रखे। एवं प्रति0 नं0 1 किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे। इसी कदर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे।

दावा वादी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 स्वयं मय वकील उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया तथा प्रतिवादीगण सं0 2,3 बावजूद सूचना उपस्थित नही अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। जवाब प्रस्तुत होने पर तनकीयात कायम की गई तथा पक्षकारान की साक्ष्य ली गई।

वादी ने साक्ष्य हेतु शपथ–पत्र पीडब्लू–1 सुबेसिंह पुत्र श्री लालजीराम जाति अहीर पेश किया। तथा दस्तावेज प्रदर्श मे नकल जमाबंदी सं0 2070–73 प्रदर्श–1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सं0 2070–73 किता 3 प्रदर्श–3, खसरा गिरदावरी सं0 2070–73 प्रदर्श–4, फोटो प्रति हकत्याग दिनांक 11.02.2016 पेश किये। वादी ओर साक्ष्य पेश नही करना चाहते अतः साक्ष्य वादी बंद की जाकर वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी नियत की गई।

प्रतिवादी ने साक्ष्य हेतु शपथ–पत्र डीडब्लू–1 रमेशचन्द पुत्र श्री लालजीराम जाति अहीर पेश किया। तथा प्रतिवादी ने शपथपूर्वक बयान किया की खसरा नं0 1652, 1656, 1658, 1654 हमारे पिताजी विरासत से प्राप्त है। हम तीन बहन और दो भाई है। बहन कमला ने हम भाईयों को अपने हिस्सा रिलिज कर दिया है। अगर खाता अलग–अलग कर दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नही है। बहन रेशमी ने अपने हिस्से मे से आधा भाग वादी को रिलिज कर दिया है शेष हिस्सा बहन के नाम अंकन है साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। पक्षकारान की सहमति से वाद प्रारम्भिक डिक्री किया गया तथा तहसीलदार खैरथल को आदेशित किया गया कि विवादित आराजी पर पक्षकारान की उपस्थिति में मुताबिक मौका एवं राजस्थान अभिधृत नियम 1955 के विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए कुर्रे कायम कर कुर्रे कायमी रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

तहसीलदार खैरथल से कुर्रे कायमी रिपोर्ट क्रमांकः–22/1855 दिनांक 16.03.2022 प्राप्त हुई। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर वकील प्रतिवादी द्वारा रिपोर्ट कुर्रे कायमी पर ऐतराज प्रार्थना पत्र पेश किया गया। तथा अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र ऐतराज कुर्रे कायमी पेश किया गया तथा वकील पक्षकारान की बहस एतराज कुर्रे कायमी सुनी गई। वकील प्रार्थी का ऐतराज स्वीकार किया गया तथा तहसीलदार किशनगढबास को कुर्रे कायमी हेतु पत्र जारी किया गया। तहसीलदार खैरथल से पुनः कुर्रे कायमी रिपोर्ट पत्र क्रमांक भू0अ0/2023/423 दिनांक 09.03.23 को कार्यालय में प्राप्त हुई शा0 मि0 की गई। तथा कुर्रे कायमी पर पक्षकरान को सुना गया। वकील प्रतिवादी ने कुर्रे कायमी रिपोर्ट पर ऐतराज पेश किया नकल वादी को दी गई वकील अप्रार्थी/वादी द्वारा जवाब एतराज कुर्रे कायमी अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर बहस का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

ऐतराज कुर्रे कायमी प्रार्थना पत्र पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/ प्रतिवादी ने ऐतराज कुर्रे कायमी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए ऐतराज प्रार्थी स्वीकार कर पुनः कुर्रे रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी/वादी ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए ऐतराज प्रार्थी खारिज कर दावा कुर्रे कायमी रिपोर्टनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादी द्वारा आराजी ख0न0 1657 रकबा 0.5400 हे0, पर ऐतराज पेश किया है कि उक्त ख0न0 के तीन भाग कर दिये गयें है रिपोर्टनुसार दो भाग प्रतिवादी को (ऐतराज पेश कर्ता) व एक भाग वादी को दिया है जो समानुपाती भाग के विभाजन को दर्शाते है। तथा ख0न0 1656 जो गै0मु0 चाहा है प्रतिवादी को दिया गया है। अतः सिचाई के साधन के संबंध में आपत्ति उचित नही है। वैसे ही 1661 संपूर्ण वादी को दिया गया है लेकिन उसी की भांति शेष ख0न0 1653,1654,1655 प्रतिवादी के हिस्से में रखे गये है जो समानुपाती विभाजन को दर्शाते है विवादित आराजी का न्यूनतम विखण्डन किया जाकर एक पक्ष को अधिकतर एक चक आराजी दी गई है विवादित आराजी पर आने जाने के लिए रास्ते का उल्लेख किया गया है। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तहसीलदार स्वयं की उपस्थिति में नियमो में उल्लेखित विधि अनुसार पक्षकारान में बटवारा प्रस्तावित करते हुए विभाजित खसरा नम्बरो का नक्शा तैयार करते हुए उन्हे पृथक–पृथक रंगो से पक्षकारान के हिस्से अनुसार दर्शाया गया है। जिससे यह तथ्य तो साबित होता है कि तहसीलदार द्वारा कुर्रे कायमी रिपोर्ट /बटवारा नामा तैयार करते समय नियम 18 से 21 की पालना की गई है। आराजी के कम से कम टुकडे किया जाना विभाजन की दृष्टि से न्याय पूर्व माना गया है। विभाजन प्रस्ताव में अच्छी व बुरी भूमि को ध्यान में रखते हुए कुर्रे कायमी की गई है। प्रस्ताव पर पक्षकारान की मौजूदगी भी उपस्थित है तथा तहसीलदार, भू0अ0, पटवारी के हस्ताक्षर भी मौजूद है जिससे विभाजन प्रस्ताव में कोई विधिक त्रुटी एवं कोई तात्विक अनियमितता नही पातें कुर्रे कायम रिपोर्ट सही होना प्रतीत होती है। अतः प्रतिवादी सं0 01 के द्वारा पेश आपत्ति एतराज खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार खैरथल से प्राप्त कुर्रे कायमी रिपोर्ट के आधार पर अन्तिक डिक्री पारित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:–

वाद वादी मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट के डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी उनके कब्जे काश्त खातेदारी/गैरखातेदारी में रहेगी–

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

क्र० सं०	नाम काश्तकार मय वल्दियत	ख०न०	रकबा (हे० में)	किस्म भूमि
1.	रमेशचन्द पुत्र लालजी जाति अहीर सा0देह खातेदार राहिन पीएनबी शाखा खैरथल	1653 1654 1655 1656 1657/1 1652/1 1652/5 कुल किता–7	0.39 0.14 0.37 0.01 0.2450 0.2750 0.0250 कुल रकबा– 1.4550	ढहरी1 ढहरी1 ढहरी1 गै0मु0चाह ढहरी1 ढहरी1 ढहरी1
2.	सुबेसिंह पुत्र लालजीराम जाति अहीर सा0देह खातेदार राहिन पीएनबी शाखा ईस्माईलपुर	1658 1661 1652/3 1657/3 कुल किता–4	0.59 0.67 0.21 0.2450 कुल रकबा– 1.7150	ढहरी1 ढहरी1 ढहरी1 ढहरी1
3.	रेशमी पुत्री लालजीराम हि0 1/3, सरोज पुत्री लालजीराम हि0 2/3 जाति अहीर सा0देह खातेदार	1652/2 कुल किता 1	0.78	
4.	रमेशचन्द पुत्र लालजीराम हि0 1/2 राहिन पीएनबी खैरथल सुबेसिंह पुत्र लालजीराम हि0 1/2 राहिन पीएनबी इस्माईलपुर जाति अहीर सा0देह खातेदार	1652/4 1657/2 कुल किता 2	0.04 0.05 कुल रकबा 0. 09	

प्रस्तावित उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो नजरी नक्शा डिक्री का जुज रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला खैरथल–तिजारा

अध्याशितः– श्री मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
102/16	21.07.2016	25.11.24

उनवान

1. सुबेसिंह पुत्र श्री लालजीराम जाति अहीर निवासी रामपुरा की ढाणी,इस्माईलपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर हाल खैरथल–तिजारा राज0।

:–वादीः–

बनाम

1. रमेशचन्द पुत्र लालजीराम
2. सरोज पत्नि दीपक उपनाम नत्थू पुत्र अमरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम कान्हावास तहसील रेवाडी जिला रेवाडी हरियाणा।
3. रेशमी पत्नि नवलसिंह पुत्र इन्दरसिंह जाति अहीर निवासी केशोपुर तहसील बावल जिला रेवाडी हरियाणा।
   पुत्रीया लालजीराम जाति अहीर निवासी रामपुरा ढाणी, इस्माईलपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर हाल खैरथल–तिजारा राज0।
4. श्रीमान तहसीलदार साहब किशनगढबास/श्रीमान नायब तहसीलदार साहब, खैरथल लैण्ड होल्डर।

:–प्रतिवादीगण

दावा तकासमा, इश्तकरारहक एवं स्थाई
निषेद्याज्ञा अन्तर्गत धारा 53,88,188

उपस्थितिः– 1. वादी की ओर से श्री आशीष मालाणी वकील।
2. प्रतिवादी की ओर से श्री गोपाल शर्मा वकील।

पर्चा डिक्री

वाद वादी मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट के डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी उनके कब्जे काश्त खातेदारी/गैरखातेदारी में रहेगी–

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

क्र० सं०	नाम काश्तकार मय वल्दियत	ख०न०	रकबा (हे० में)	किस्म भूमि
1.	रमेशचन्द पुत्र लालजी जाति अहीर सा0देह खातेदार राहिन पीएनबी शाखा खैरथल	1653 1654 1655 1656 1657/1 1652/1 1652/5 कुल किता–7	0.39 0.14 0.37 0.01 0.2450 0.2750 0.0250 कुल रकबा–1.4550	ढहरी1 ढहरी1 ढहरी1 गै0मु0चाह ढहरी1 ढहरी1 ढहरी1
2.	सुबेसिंह पुत्र लालजीराम जाति अहीर सा0देह खातेदार राहिन पीएनबी शाखा ईस्माईलपुर	1658 1661 1652/3 1657/3 कुल किता–4	0.59 0.67 0.21 0.2450 कुल रकबा–1.7150	ढहरी1 ढहरी1 ढहरी1 ढहरी1
3.	रेशमी पुत्री लालजीराम हि0 1/3, सरोज पुत्री लालजीराम हि0 2/3 जाति अहीर सा0देह खातेदार	1652/2 कुल किता 1	0.78	
4.	रमेशचन्द पुत्र लालजीराम हि0 1/2 राहिन पीएनबी खैरथल सुबेसिंह पुत्र लालजीराम हि0 1/2 राहिन पीएनबी इस्माईलपुर जाति अहीर सा0देह खातेदार	1652/4 1657/2 कुल किता 2	0.04 0.05 कुल रकबा 0.09	

प्रस्तावित उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो नजरी नक्शा डिक्री का जुज रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)